

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 10 फरवरी, 1999 (माघ 21, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, खनिज साधन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मैग्नीज ओर (इंडिया) लिमिटेड की 36 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री लिखीराम कावरे, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान करधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-10-98-आठ, दिनांक 25 अगस्त, 1998 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री रमेश सक्सेना, सदस्य, राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के सीहोर स्थित संग्रह से सोयाबीन तेल बिक्री में की जा रही अनियमितता की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सदस्य, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में गुड्राबू निर्माण से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य, द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 1999 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

" राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

भोपाल :
दिनांक : 9 फरवरी, 1999

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा